फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस. एच. ओ. चाकसू बनाम जावेद खान व अन्य

केस संख्या 14 /2022 (गो वंशीय पशु अधिनियम 1995)

	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	
	28.02.2022	थनाधिकारी पुलिस थाना चाकसू से केस डायरी तलब की गई । विभागीय पैरोकार व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी जोवेद खान की पिकअप नम्बर एमपी 43 जी 3323 में ग्यारह गो वंश बछडे/सांड ठूंस–ठूंस कर भरे हुये पाये गये है तथा अप्रार्थी मंगलराम गुर्जर की पिकअप में चार बछडों को रस्सियों से बांध रखा था। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम 1995 धारा 7–में अभिग्रहित गो वंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा किये जाने की ही अधिकारिता है। इसके लिए गो वंश को थानाधिकारी पुलिस थाना चाकसू द्वारा पूर्व में ही कामधेनू गौ शाला गरूडवासी चौराहा चाकसू की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। गोवंश के लिए किसी ने प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। पिकअप में गो वंश को बिना किसी चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञप्ति के क्षमता से अधिक कूरता के साथ ले जाते पाये गये है। इसके लिए अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 11 (1) (डी) (ई) पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। जिसमें न्यायालय द्वारा जब्त पिकअप को बतौर साक्ष्य सबूत तलब किया जा सकता है। थानाधिकारी पुलिस थाना चाकसू द्वारा धारा 11 (ख) पशु कुरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत यह इस्तगासा पेश किया है, जिसकी सुनवाई की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। इसलिए प्रकरण में जब्त वाहन को इस न्यायालय द्वारा जमानत सुपुदर्गी में दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप प्रार्थी जावेद खान व मंगलराम गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर जयपुर	